

## **मैनुअल-13 सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या अनुज्ञा के प्राप्तकर्ताओं का विवरण**

### **सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतें, परमिट या अनुज्ञा**

विश्वविद्यालय में प्रत्येक भर्ती विज्ञापन में आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ दिव्यांजन) और महिलाओं को भारत सरकार के नियमों के अनुसार आवेदन शुल्क से छूट या छूट। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान, सरकार के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ईडब्ल्यूएस / अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांजन उम्मीदवारों को स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन करने के लिए भारत सरकार की आरक्षण नीति आवश्यक न्यूनतम अंकों में छूट की अनुमति है।

**पात्रता मानदंड:** भारत सरकार / यूजीसी मानदंड के अनुसार ।

**रियायत/अनुदान और/या अनुज्ञा के परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया:** भारत सरकार / यूजीसी मानदंड के अनुसार।